राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
National Institute of Design
मध्यप्रदेश Madhya Pradesh
(An Institute of National Importance under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India)

पत्रांक ई-225/एनआईडीएमपी/10/2023-एनआईडीएमपी_निदेशक/2024 दिनांक 04.09.2024

## कार्यालय ज्ञापन : 184/20224

विषय: कार्यालय में राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने के संबंध में

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार संस्थान में राजभाषा के अधिकारिक प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई वितीय प्रोत्साहन (व्यक्तिगत वेतन, नगद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार आदि) विशेष प्रोत्साहन योजनाएं तथा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार राजभाषा विभाग के द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.01.2023 की अनुपालन करने के संदर्भ में संस्थान में राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं लागू किया जाता है जिनका विस्तृत विवरण निम्नवत हैं:

1.**वैयक्तिक वेतन**- हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) **प्रबोध परीक्षा**- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

संदर्भ : [का0ज़ा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) **प्रवीण परीक्षा**- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

संदर्भ :[(का0ज़ा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) **प्राज्ञ परीक्षा**- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है। जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उतीर्ण करने पर।

संदर्भ :[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1) तथा का0ज्ञा0सं0- 12014/1/78-रा०भा०(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) **हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुवादक, प्रवर श्रेणी लिपिक तथा प्रवर लेखा परीक्षक, जिनके लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है पर उपयोगी है, को अवर श्रेणी लिपिकों की भांति ही उक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएँ इस संबंध में जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दी जाती हैं।

संदर्भ :[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)] तथा (का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)

2 **नकद पुरस्कार**- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) **प्रबोध**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | 1600/- |
| 2. | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 800/- |
| 3. | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 400/- |

(2) **प्रवीण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | 1800/- |
| 2. | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 1200/- |
| 3. | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 600/- |

(3) **प्राज्ञ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | 2400/- |
| 2. | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 1600/- |
| 3. | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 800/- |

(4) **हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | 2400/- |
| 2. | 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 1600/- |
| 3. | 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 800/- |

**(5) हिंदी आशुलिपि**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | 2400/- |
| 2. | 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 1600/- |
| 3. | 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 800/- |

**(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा | 1600/- |
| 2. | हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा | 1500/- |
| 3. | हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा | 2400/- |
| 4. | हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा | 1600/- |
| 5. | हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा | 3000/- |

संदर्भ : (का0ज्ञा0सं0- 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

**(7) पारंगत**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | 10000/- |
| 2. | 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 7000/- |
| 3. | 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | 4000/- |

संदर्भ :(का0ज्ञा0सं0- 12012/03/2015//रा0भा0(निति0). दिनांक 22.04.2015)

**(8) पारंगत सरकारी कामकाज में टिप्पणी/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) प्रत्येक रु. | 5000/- |
| 2. | दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) प्रत्येक रु. | 3000/- |
| 3. | तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) प्रत्येक रु. | 2000/- |

संदर्भ :(का0ज्ञा0सं0- 12013/01/2011//रा0भा0(निति0). दिनांक 14.09.2016)

4. विशेष टिप्पणी:

1. जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

2. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

3. जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एक मुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

संदर्भ :(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/2010/रा0भा0(प्रशि0). दिनांक 29.07.2011)

5. राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी उपरोक्त प्रावधानो को यथा प्रकाशित संस्थान में संचालित किया जाता है।

6. उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन निदेशक महोदया, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश के द्वारा अनुमोदित है।

(आर के सैनी)
राजभाषा अधिकारी
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:

सादर सूचनार्थ तथा अनुपालना करने हेतु।

1. उपनिदेशक (राजभाषा), उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार- कृपया पत्रांक दिनांक 17.01.2023 में जारी अनुदेशों के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
2.समस्त अधिकारीगण एवं अधीनस्थ अधिकारीगण रा.डि.स., मध्यप्रदेश
3. निदेशक महोदया, रा.डि.स., मध्यप्रदेश
4.कुलसचिव महोदय, रा.डि.स., मध्यप्रदेश
5.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रा.डि.स., मध्यप्रदेश
6.सहायक अभि.(सू.प्रौ.), रा.डि.स., मध्यप्रदेश: संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7.कार्यालय प्रति